LT- 5915/73

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(i) AS G.S.R. NO.1010 DATED 15-9-1973.

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi the 31st August, 1973
Bhadra 9, 1895 S.E.

NOTIFICATION

G.S.R. 1010 In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Fourth Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, -

(i) in Schedule I, in Form K, in Part V, for clauses 1 and 2, the following clauses shall be substituted, namely:-

"To pay dead rent or royalty whichever is higher.

1. The lessee shall pay, for every year except the first year of the lease, dead rent as specified in clause 2 of this Part:

Provided that, where the holder of such mining lease becomes liable under section 9 of the Act, to pay royalty for any mineral removed or consumed by him or by his agent,

Contd...2/-

manager, employee, contractor or sub-lessee from the leased area, he shall be liable to pay either such royalty or the dead rent in respect of that area, whichever is higher.

Rate and mode of payment of dead rent.

2. Subject to the provisions of clause 1 of this Part, during the subsistence of the lease, the lessee/lessees shall pay to the State Government annual dead rent for the lands demised and described in Part I of this Schedule at the rate for the time being specified in the Third Schedule to the Act, in such manner as may be specified in this behalf by the State Government.";

(ii) Schedule IV shall be omitted.

File No. 1(12)/73-MVI

Sd/-
(J.L. Tandon)
Under Secretary to the Government of India.

(भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3(i) में दिनांक 15-9-73 को प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

- -

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1973

9 भाद्र, 1895(शक)

अधिसूचना

सा0का0नि0 1010 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियमावली, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1973 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियमावली, 1960 में -

(i) भाग के फार्म 'कें' की अनुसूची । में, खण्ड, 1 और 2 के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"नियत लगान या अधिशुल्क दोनों में से जो भी अधिक हो, का भुगतान

१. पट्टाधारी पट्टे के पहले वर्ग को छोड़कर प्रत्येक वर्ष के लिए, इस भाग के खण्ड 2 में नियत लगान देगा :

किन्तु शर्त यह है कि ऐसे खनन पट्टे का धारक अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उसके या उसके एजेन्ट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टाधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाए गए या उपयुक्त किसी खनिज के लिए, अधिशुल्क का देनदार हो जाता है तो वह उस क्षेत्र के बारे में अधिशुल्क या नियत लगान दोनों में से जो भी अधिक हो, देने के लिए जिम्मेदार होगा ।

- - - 2/-

"नियत लगान की दर और भुगतान की रीति

2. इस भाग के खण्ड । के उपबंधों के अधीन पट्टे के निर्वाह के दौरान पट्टाधारी/पट्टेधारी इस अनुसूची के भाग । में वर्णित और पट्टे पर दी गई सुविधों के लिए फिलहाल राज्य सरकार को अधिनियम की तीसरी अनुसूची में विर्निदिष्ट दर पर नियम वार्षिक लगान देगा, जिसका भुगतान इस संबंध में सरकार द्वारा विर्निदिष्ट ढंग से होगा ।

(ii) अनुसूची iv को छोड़ दिया जाए ।

ह०

(जे०एल० टण्डन)

अवर सचिव, भारत सरकार

(फा० सं० 1(12)/73- खान -6)

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी,

नई दिल्ली ।

LT-5915/73

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3(i) AS G.S.R.No.1011 DATED 15-9-1973.

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

New Delhi the 31st August, 1973
Bhadra 9, 1895 S.E.

N O T I F I C A T I O N

G.S.R. 1011 In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Fifth Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in Schedule I, in FORM K, in Part VII, in clause 17, after the existing proviso to sub-clause (2), the following further proviso shall be added, namely, -

"Provided further that where the mortgagee is an institution or a Bank or a Corporation specified in Schedule V, it shall not be necessary for any such institution or Bank or Corpporation to hold the said certificate of approval and the said income-tax clearance certificate."

No. 1(31)/71-M.VI

Sd/-
(J.L. Tandon)
Under Secretary to the Government of India.

(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3(i) में दिनांक 15-9-73 को प्रकाशित)

- - - -

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

- - -

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1973
9 भाद्र, 1895 (शक)

अधिसूचना

- - - - -

सा० का० नि० 1011 - खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (पंचम संशोधन) नियम, 1973 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में अनुसूची 1 के, भाग VII के प्ररूप 'के' के खण्ड 17 में, उपखण्ड (2) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्

" परन्तु यह भी शर्त है कि यदि अनुसूची V में विनिर्दिष्ट बंधककार कोई संस्था अथवा बैंक अथवा निगम है तो ऐसी किसी संस्था अथवा बैंक अथवा निगम के लिए उक्त अनुमोदन प्रमाण-पत्र तथा उक्त आयकर अदायगी प्रमाण-पत्र का होना आवश्यक नहीं होगा ।"

ह०

(जगमोहन लाल टण्डन)
अवर सचिव, भारत सरकार
सं० 1(31)/71- खान-6

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली ।